Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

महिला जनप्रतिनिधियों का पंचायती राज संस्थाओं में सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अंजली रजक*

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित महिलाओं के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाओं को अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर सक्षम कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य उसको आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है- उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर-तरीकों को चुनौतीयों में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें।

शब्द कुंजी – पंचायती राज, विचारधारा, सहभागिता, निर्णय लेने की क्षमता, क्षेत्रीय मुद्दे।

प्रस्तावना – संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। पंचायती राज में जनजातियों के विकास हेतु प्रावधान है जिनसे जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

पंचायतों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – प्राचीनकाल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने बाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। पूर्वकाल में स्थानीय प्रशासन, शान्ति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिककाल से ही रहा है। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत पाँच प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी कहा जाता था। वैदिककाल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगलकाल तक रहा, किन्तु ब्रिटीशकल में पंचायत व्यवस्था छीन्न-भिन्न हो गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अन्तर्गत पंचायती राज मन्त्रालय के रूप में एक अलग मन्त्रालय की स्थापना भी की गई है।[1]

अंग्रेजी राज में पंचायते – अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से सम्बन्धित कार्य यथासम्भव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानि ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग-अलग पंचायतें बनी रहीं, जो सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करती थी।

पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1920 के आस-पास सभी प्रान्तों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए।[2]

उस समय ग्राम पंचायत जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय सम्बन्धी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किन्तु इन सबके बावजूद ब्रिटिशकाल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन ही रही।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतें – वर्ष 1947 में मिली स्वतन्त्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत कहा गया हैं 'राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।' ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार-विमर्श करने के लिए

भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया। बलवन्त राय मेहता समिति ने अपनी सस्तुतियाँ नवम्बर, 1957 में सरकार को सौंपी।

12 जनवरी, 1958 को राष्ट्रीय बिकास परिषद ने बलवन्त राय मेहता समिति के प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने को कहा। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुमार राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।[3]

73वाँ संविधान संशोधन – 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है। भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है।म

अध्ययन के उद्देश्य:

1. पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव को जानना।
2. पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठकों एवं सभाओं में सहभागिता के स्तर को जानना।

तथ्य संकलन एवं निदर्शन – प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु राजसमन्द जिले की रेलमगरा एवं राजसमन्द पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतों से 25-25 पुरूष और महिलाओं का चयन कर कुल 100 पुरूष और 100 महिलाओं को मिलाकर 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उक्त उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा तथ्य संकलित करने का कार्य किया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले की रेलमगरा एवं राजसमन्द पंचायत समिति की चार-चार ग्राम पंचायतें अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन की गई है।

उत्तरदाताओं की आयु – अध्ययन हेतु जिन उत्तरदाताओं का चयन किया गया है उनमें राजसमन्द से 18 से 30 वर्ष की आयु के 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है एवं रेलमगरा से 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है। राजसमन्द से 31 से 40 वर्ष की आयु के 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है एवं रेलमगरा से 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है। राजसमन्द से 41 से 50 वर्ष की आयु के 12 पुरूष और 12 महिलाएँ है एवं रेलमगरा से 12 पुरूष और 12 महिलाएँ है। राजसमन्द से 51 से 60 वर्ष की आयु के 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है एवं रेलमगरा से 13 पुरूष और 13 महिलाएँ है। सभी उत्तरदाताओं द्वारा 2015 के पंचायती राज चुनाव में मतदान किया गया है।

ग्राफ संख्या :01

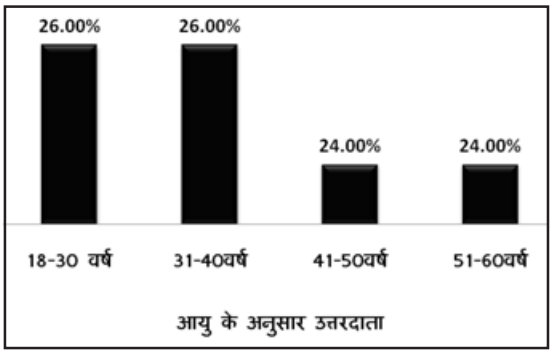

स्त्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

उपरोक्त ग्राफ 01में आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण दिया गया है जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 26 प्रतिशत उत्तरदाता है और 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 26 प्रतिशत उत्तरदाता है एवं 41 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के 24 प्रतिशत उत्तरदाता है तथा 51 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के 24 प्रतिशत उत्तरदाता है।

विचारधारा विशेष का प्रभाव – अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया कि राजसमन्द पंचायत समिति से 4 महिलाओं और 6 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 3 महिलाओं और 5 पुरूषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से से 8 महिलाओं और 7 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 9 पुरूषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 26 महिलाओं और 24 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 25 महिलाओं और 23 पुरूषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 12 महिलाओं और 13 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 16 महिलाओं और 13 पुरूषों ने असहमति दी है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं हैं।

ग्राफ संख्या :02: विचारधारा का प्रभाव

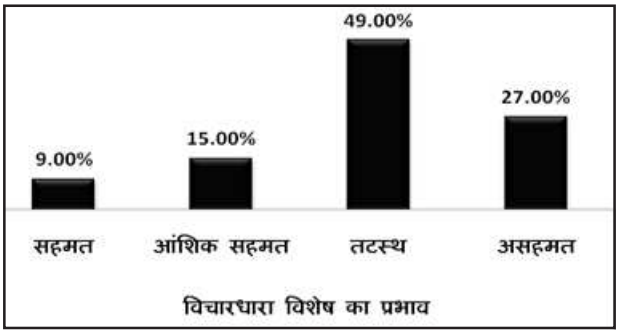

स्त्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 02 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं हैं।

समूह चर्चा में सहभागिता – राजसमन्द पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 8 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 5 महिलाओं और 4 पुरूषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 6 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 7 महिलाओं और 9 पुरूषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 32 महिलाओं और 30 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 33 महिलाओं और 29 पुरूषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 4 महिलाओं और 6 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 5 महिलाओं और 8 पुरूषों ने असहमति दी है कि महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते है।

ग्राफ संख्या :03: समूह चर्चा में सहभागिता

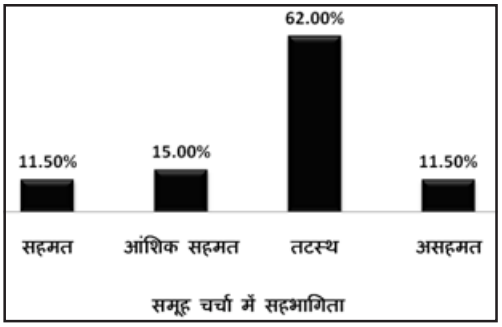

स्त्रोत :– प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 03 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा समूह चर्चा में सहभागिता के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते है।

क्षेत्रीय स्तर के मुद्धे –राजसमन्द पंचायत समिति से 23 महिलाओं और 25 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 21 महिलाओं और 22 पुरूषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 7 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 5 पुरूषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 9 महिलाओं और 3 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 4 पुरूषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 16 महिलाओं और 12 पुरूष और रेलमगरा पंचायत समिति से 20 महिलाओं और 14 पुरूषों ने असहमति दी है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्धों की जानकारी नहीं है।

ग्राफ संख्या :04: क्षेत्रीय मुद्धों की जानकारी

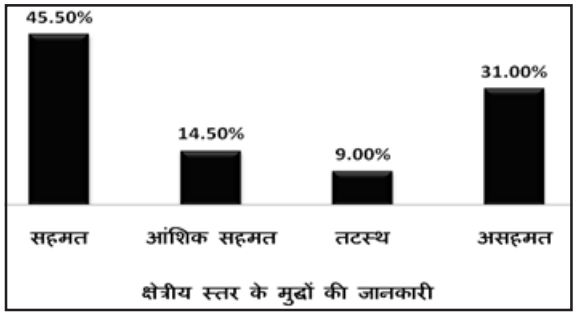

स्त्रोत :– प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 04 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्धों की जानकारी के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 45.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 14.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्धों की जानकारी नहीं है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. अध्ययन के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला जन प्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव है।
2. 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं हैं।
3. 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता करती है जबकि इतने ही प्रतिशत में उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते है।
4. 45.50 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्धों की जानकारी है।
5. 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्धों की जानकारी नहीं है।

सुझाव:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज में महिलाओं हेतु प्रावधान और शक्तियों के बारे में महिलाओं के समूहों को जानकारी प्रदान कर महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ा सकते हैं।
2. इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर से क्षेत्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था कर महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दुबे, दिवाकर (1997),'73 वें संविधान संशोधन से सत्ता का विकेन्द्रीकरण', कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. वही
3. श्रीनिवास, एम. एन. (1998),'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन', राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
4. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा (1998), 'पंचायती राज के नवीन आयाम', यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।